

## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 127 19-7-2017 Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant.  Satable 19919  Gal - Ales
Name, parentage, caste and address of accused
विलराम्-८/० भगवान द्वास जारव इम -35 नि व्यालिया हा भू मर्ग द हाबा उतेजा धाला - मालनपुर
श्रामा - मालनपुर
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक उ० ऽ 1 मुकाम होटल पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में 1.5 लीटर/पाव/बोतल करूपी शराब विकय/परिवहन हेतु रखी। ऐसा करके आपने आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
स्थाती । स्थापिक शांधिक है । स्थापिक शांधिक है ।

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## //निर्णय//

## (आज दिनांक 13/7/2017 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि0 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सिक्षेप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक रवीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये 500 शब्दों में विन्यु हों। उत्पाद रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 11 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
- 04 जप्तशुदा सम्पत्ति 1:5 लीटर/पाव/बोतल किट्य शिष्ण्यो शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्टकर व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का

मेरे निर्देशक लेंगू स्कित